



राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक :प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2021-22/ 2003

जयपुर, दिनांक: 27/05/24

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावासों (परिशिष्ट-अ पर सलग्न सूची अनुसार 21 बालक एवं 11 बालिका छात्रावास) की दिनांक 15.05.2024 के पश्चात संचालन अवधि बढ़ाने की सहमति एवं व्यय को रू. 1500/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह की सीमा में रखते हुए उपलब्ध बजट प्रावधान से व्यय किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162401005 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

सलग्न उपरोक्तानुसार

(नलिनी कठोटिया)

निदेशक

जयपुर, दिनांक: 27/05/24

क्रमांक :प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2021-22/ 2004-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, चुरू, जयपुर, झुंझनूर, जोधपुर, कोटा, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक को पालनार्थ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, कार्यालय हाजा।
6. प्रोग्रामर को विभागीय बेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(सुशील कुमार)

सहायक निदेशक (चतुर्थी)

Signature valid

RajKaj Ref
7465846



Digitally signed by Nalini Kathotia
Designation: Director
Date: 2024.05.27 11:47:50 IST
Reason: Approved

बालक छात्रावास

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	छात्रावास स्थान	विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए समयावधि बढ़ायी जानी है	छात्रावास की बढ़ायी गयी समयावधि
1	अलवर	1	अलवर (जिला)	35	दिनांक 31.07.24 अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
		2	उमरैण (अलवर)	41	
		3	तिजारा (अलवर)	10	
		4	रामगढ़ (अलवर)	16	
		5	लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	5	
		6	किशनगढ़बास (अलवर)	42	
2	बीकानेर	7	बीकानेर (जिला)	10	30.06.2024 तक अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
3	भरतपुर	8	नगर (भरतपुर)	12	दिनांक 31.07.24 अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
		9	पहाड़ी (भरतपुर)	20	
4	चुरू	10	चुरू (जिला)	6	30.06.2024 तक अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
5	जयपुर	11	जयपुर (जिला)	41	दिनांक 31.07.24 अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
6	झुंझुनू	12	झुंझुनू (जिला)	15	
7	जोधपुर	13	जोधपुर (जिला)	16	
8	कोटा	14	कोटा (जिला)	15	
9	नागौर	15	नागौर (जिला)	22	30.06.2024 तक अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
10	सवाई माधोपुर	16	स. माधोपुर (जिला)	9	30.06.2024 तक अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
		17	गंगापुर सिटी (स. माधोपुर)	24	दिनांक 31.07.24 अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
11	सीकर	18	सीकर (जिला)	20	
12	सिरोही	19	सिरोही (जिला)	7	
13	श्री गंगानगर	20	श्री गंगानगर (जिला)	22	
14	टोंक	21	टोंक (जिला)	31	

RajKaj Ref
7465846

Signature valid

Digitally signed by Nalini Kathotia
Designation: Director
Date: 2024.05.27 17:47:50 IST
Reason: Approved

बालिका छात्रावास

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	छात्रावास स्थान	विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए समयावधि बढ़ायी जानी है	छात्रावास की बढ़ायी गयी समयावधि
1	अलवर	1	अलवर (जिला)	107	दिनांक 31.07.24 अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
		2	तिजारा (अलवर)	20	
		3	रामगढ़ (अलवर)	7	
		4	लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	8	
		5	किशनगढ़बास (अलवर)	32	
2	भरतपुर	6	नगर (भरतपुर)	25	30.06.2024 तक अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
		7	सीकरी (भरतपुर)	10	
3	भीलवाड़ा	8	भीलवाड़ा (जिला)	21	दिनांक 31.07.24 अथवा विद्यार्थियों की परीक्षा पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो)
4	जयपुर	9	जयपुर (जिला)	59	
5	जोधपुर	10	जोधपुर (जिला)	15	
6	कोटा	11	कोटा (जिला)	13	